

सुबेसिंह v। 8 गजराज वर्मा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
अलवर [राज०]

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही
5.9.17	<p>पत्रावली पेश हुई। सरिस्ते रिपोर्ट का (अवलोकन किया गया)। (अपील दर्ज रजिस्टर की जाते)। (अपील के साथ संलग्न स्वयंसेवा प्रार्थना पत्र पर (अभिभावक (अपीलान्त को सब पक्षीय सुना तथा पत्रावली का (अवलोकन किया। (अपी० अग्रि० को सुनने एवं पत्रावली का (अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि तहत न्यायालय में वर्ष 2014 से 2017 तक सब पक्षीय (आदेश के पश्चात पत्रावली पर कोई सार्वजनिक निर्णय नहीं हुआ है, वादी सहस्रवातेदार हैं। सभी स्थिति में वादी को सुना जाकर (अपीनस्व न्यायालय (उपरवृत्त (अधिकारी मुन्डाण्ड के निर्णय दिनांक 31.10.14 सं.सं. 321/14 उनका गजराज v। 8 हीरालाल का प्रचलन स्थगित किया जाकर तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को वरीष्ठ नम्बर पर लेकर निर्णित किया जावे। पत्रावली तहत न्यायालय को प्रस्तुत (पत्रावली) की जाती है। फाफसी फौजदारी नुमांदा होकर नम्बर से कम की जावे।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर